

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन: समस्याएं एवं संभावनाएं

(South Asian Association for Regional Co-Operation: Problems and Prospects)

डॉ. गौरव कुमार मिश्र*

सारांश

दक्षिण एशिया के आठ देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन को 'दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन' के नाम से जाना जाता है। यह संगठन किसी भी क्षेत्रीय-संगठन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। मूलतः इस संगठन की स्थापना में सात देश ही थे, परंतु अप्रैल, 2007 में जब दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का चौदहवाँ शिखर सम्मेलन हुआ, तब अफगानिस्तान इस संगठन का आठवाँ सदस्य बन गया। संगठन के सदस्य देशों की जन-संख्या लगभग एक अरब पचास लाख है। इस आलेख में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य, उसके कार्यों के साथ-साथ भारत की इस संगठन में महती भूमिका की भी चर्चा की गयी है।

शब्द-कुंजी: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), सार्क, दक्षेश।

परिचय

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना 8 दिसम्बर, 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। स्थापना के समय इस संगठन में सात देश, भारत, बांग्ला देश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव तथा भूटान थे। चौदहवें शिखर सम्मेलन के समय, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन का आठवाँ सदस्य बन गया। इस संगठन को संक्षेप में "SAARC" अथवा 'दक्षेश' के नाम से जाना जाता है। 'दक्षिण एशिया' शब्द का प्रयोग एशिया

महाद्वीप के दक्षिणी भाग के लिए किया जाता है, जो हिमालय पर्वत के दक्षिणवर्ती देश हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश को 'दक्षिण एशिया के देश' अथवा 'भारतीय उप-महाद्वीप के देश' के नाम से जाना जाता है। इस संग्रह में नेपाल तथा भूटान भी है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग इक्कीस प्रतिशत लोग 'सार्क' देशों में ही रहते हैं। 'सार्क' संगठन का मुख्यालय तथा सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में है।

*सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुंठपुर, जिला -कोरिया, छत्तीसगढ़

Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com



सार्क देशों का सहयोग निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है-

(क) सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक-स्वतंत्रता तथा अन्य देशों के आन्तरिक-मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों का सम्मान करना।

(ख) इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प नहीं होकर उसका पूरक होगा।


'सार्क' के पर्यवेक्षक सदस्य देशों की संख्या नौ है। ये नौ देश हैं-

- i. ऑस्ट्रेलिया
- ii. चीन
- iii. यूरोपियन यूनियन
- iv. ईरान
- v. जापान
- vi. रिपब्लिक ऑफ कोरिया

- vii. मॉरीशस
- viii. म्यांमार
- ix. संयुक्त राज्य अमेरिका।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं-

- (क) मानव-संसाधन विकास एवं पर्यटन,
- (ख) कृषि तथा ग्रामीण विकास,
- (ग) पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायो टेक्नोलॉजी,
- (घ) आर्थिक, व्यापार एवं वित्त,
- (ङ) सामाजिक मुद्दा,
- (च) सूचना एवं गरीबी उन्मूलन,
- (छ) ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी,
- (ज) शिक्षा, सुरक्षा तथा संस्कृति।



‘सार्क’ देशों की बैठकें सामान्यतः वार्षिक हुआ करती हैं, जिसे ‘शिखर-सम्मेलन’ के नाम से जाना जाता है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति ‘सार्क’ की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है तथा परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए वित्तपोषण की मंजूरी भी देती है।

सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी, 1987 को नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में की गयी। इस सचिवालय में महासचिव, सात निदेशक तथा सामान्य कर्मचारी सम्मिलित हैं। ‘सार्क’ के महासचिव की नियुक्ति ‘रोटेशन’ के आधार पर मंत्री-परिषद् द्वारा तीन वर्षों के लिए की जाती है।

वैश्विक-क्षेत्र में ‘सार्क’ तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। ‘सार्क’ के सदस्य देशों ने एक

मुक्त व्यापार-क्षेत्र (Free Trade Area, FTA) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य ‘आन्तरिक-व्यापार’ में वृद्धि करना है। मुक्त व्यापार समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी समस्त सेवाओं को छोड़कर, केवल वस्तुओं तक ही सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा-शुल्क को कम करने के लिए इस समझौता पर हस्ताक्षर किये गये थे।

भारत में अवस्थित ‘दक्षिण एशियाई विश्व विद्यालय’ एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा प्रदान की गयी उपाधियाँ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी उपाधियों के समान ही होती हैं।

सार्क के सदस्य देशों की समस्याएँ मूलतः समान हैं। जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएँ, आन्तरिक संघर्ष, औद्योगिक

एवं तकनीकी पिछड़ापन इत्यादि। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण करना 'सार्क' के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि सार्क के प्रमुख उद्देश्य हैं-

- (क) दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना,
- (ख) जीवन की गुणवत्ता को उत्तरोत्तर विकसित करने में आर्थिक-विकास का मार्ग प्रशस्त करना,
- (ग) सामाजिक-विकास तथा सांस्कृतिक-विकास को तीव्र-गति प्रदान करना,
- (घ) दक्षिण एशिया के देशों की आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना,
- (ङ) आपसी विकास को दृढ़ता प्रदान करना
- (च) एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ को सुस्थिर करना।

'सार्क' के गठन के पूर्व से ही भारत तथा पाकिस्तान के बीच का सम्बंध ठीक नहीं रहा है। संगठन की स्थापना के समय ही भारत को यह आशंका थी कि 'सार्क' की मजबूती से भारत की क्षेत्रीय महत्ता घटेगी। और पाकिस्तान इस बात से भयभीत था कि इस संगठन पर भारत का वर्चस्व हो जायेगा। यह भी एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है कि 'सार्क' द्वारा क्षेत्रीय-शान्ति तथा सहयोग पर कोई सर्वमान्य फैसला नहीं हो पाया। यदि भारत तथा पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित प्रश्न का समाधान 'सार्क' कर लेता है, तब 'सार्क' अपनी कमियों पर

नियंत्रण पाने में सक्षम हो जायेगा। इससे संभावनाओं के द्वार खुल जायेंगे और तब 'सार्क' 'एशियन' की तरह मजबूत हो जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय-सम्बंधों के जानकार यह बतलाते हैं कि 'सार्क' की असफलता का कारण 'सार्क चार्टर' है, जो सदस्य देशों को 'द्विपक्षीय-तनाव' पर बहस करने की अनुमति नहीं देता है।

सार्क और इसका महत्त्व

सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात् 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

समान समाधान: सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएँ और मुद्दे विद्यमान हैं जैसे- गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएँ, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं।

तालमेल बनाना: यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान हैं जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है।

भारत के लिए सार्क का महत्त्व

- (क) **पहले पड़ोसी:** देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता।
- (ख) **क्षेत्रीय स्थिरता:** सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास एवं शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है।
- (ग) **भू-रणनीतिक महत्त्व:** यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है।
- (घ) **भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी के लिये एक गेम चेंजर:** दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है।
- (ङ) **वैश्विक नेतृत्व की भूमिका:** यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

सार्क की उपलब्धियाँ

- (क) सार्क विश्वविद्यालय: भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई।

- (ख) SAPTA: साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट (South Asia Preferential Trading Agreement) वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये किया गया था।
- (ग) मुक्त व्यापार समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर, केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिये इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- (घ) मुक्त व्यापार क्षेत्र: वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area - FTA) स्थापित किया है जिसके परिणामस्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी।
- (ङ) सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (SATIS): SATIS सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिये GATS-plus के 'सकारात्मक सूची' दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है।

सार्क के लिए चुनौतियाँ

- (क) **भारत-पाक संबंध:** भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम किया है।

(ख) **SAFTA की सीमाएँ:** साफ्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा और यह मुक्त व्यापार समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित रहा।

(ग) **बैठकों की कमी:** सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है।

सार्क के लिए आगे की राह

सभी सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिये संगठन की क्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिये। सार्क को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिये एवं दक्षिण एशिया के लोगों, जो कि विश्व की जनसंख्या का एक-चौथाई हिस्सा है, को अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करने की पेशकश की जानी चाहिये। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ चीनी निवेश एवं ऋण तेज़ी से बढ़ा है, सार्क विकास हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के श्रमिकों के लिये बेहतर शर्तों की मांग करने हेतु एक आम मंच की भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की

पहचान को दर्शाता है। यह प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं।

भारत ने 'सार्क देशों' के बीच 'प्रोटोकॉल' विकसित करने का सुझाव दिया है। भारत ने इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से 'सार्क' संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है। भारत के इन प्रस्तावों के आलोक में 'सार्क' के सदस्य देशों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भारत के प्रयासों ने 'सार्क' को और 'जीवन्त' बना दिया है। इसके बाद भी, 'सार्क' अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल इसलिए नहीं हो सका है, क्योंकि-

(क) भारत-पाकिस्तान का सम्बंध ठीक नहीं हो पाया है,

(ख) क्षेत्रीय व्यापार की चिन्ताजनक स्थिति है तथा

(ग) संतोषजनक सम्प्रेषण (Satisfactory Communication) का अभाव है।

पाकिस्तान के अखबार नवीशों का यह मानना है कि दक्षिण एशिया के विकास में भारत बाधा बनकर खड़ा है।

डेली एक्सप्रेस में छपे 'संपादकीय' के अनुसार, "यदि भारत वास्तव में 'सार्क' देशों का विकास चाहता है तो उसे पाकिस्तान के प्रति अपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार को बदलना होगा।" कुछ इसीप्रकार के विचार 'नवा-ए-वक्त', 'जसारात' इत्यादि अखबारों के 'सम्पादकीय' में भी व्यक्त किये गये हैं।

पाकिस्तान, भारत के लिए निरंतर 'समस्यायें' उत्पन्न करता रहा है। भारत की शक्ति को भंग करता रहा है। भारत में 'आतंकवादियों' को भेजकर 'आतंकवाद' को बढ़ावा देता रहा है और दुनिया के समक्ष स्वयं को 'निरीह' बतलाता रहा है। परंतु स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीच्यूट के अनुसार, "भारत तथा चीन के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है।" पाकिस्तान हथियार बनाकर लगभग चालीस देशों में बँच रहा है, जिससे उसे प्रति वर्ष दो करोड़ डॉलर की आमदनी हो रही है। यह तथ्य पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्टरीज के अध्यक्ष की ओर से उद्घाटित किया गया है। यह 'ऑर्डिनेंस फैक्टरीज' पाकिस्तान का एक 'सरकारी संस्थान' है, जिसपर पाकिस्तान की सेना के लिए शस्त्र, गोला-बारूद इत्यादि बनाने की जिम्मेदारी है।

'सार्क' को पूर्ण सफलता तब ही प्राप्त हो सकेगी, जब भारत तथा पाकिस्तान के बीच 'मधुर-सम्बंध' स्थापित हो जायेगा। यदि ऐसा हो जाता है, तब यह 'विश्व-शान्ति' का 'सार्क देशों' की ओर से सम्पूर्ण विश्व को दिया जानेवाला एक नायाब तोहफा होगा।

सन्दर्भ-सूची

1. The Hindu.
2. The Hindustan.
3. Dainik Bhaskar.
4. B.B.C. (bbc.com)
5. "Press Releases, 18th SAARC Summit Declaration, November 27, 2014". SAARC. मूल से 8 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 दिसम्बर 2015.